

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जनपद—प्रयागराज।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार जनपद प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरेट के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती हैं—

1— पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित में होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियन्त्रित करने के लिये सहमत नहीं किया जाएगा। पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियन्त्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सदभाव स्थापित रखने हेतु आवश्यक ग्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्ति व संस्थानों हेतु सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

कमिश्नरेट प्रयागराज, पुलिस आयुक्त के नियन्त्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है जनपद में पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त नगर/ पुलिस उपायुक्त गंगानगर/ पुलिस उपायुक्त यमुनानगर/ पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/ अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल/ अपर पुलिस उपायुक्त अपराध/ अपर पुलिस उपायुक्त यातायात/ अपर पुलिस उपायुक्त हाईकोर्ट सुरक्षा/ सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली/ सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन/ सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगंज/ सहायक पुलिस आयुक्त, अतरसुइया/ सहायक पुलिस आयुक्त, कर्नलगंज/ सहायक पुलिस आयुक्त, झौंसी/ सहायक पुलिस आयुक्त, सोराव/ सहायक पुलिस आयुक्त, फूलपुर/ सहायक पुलिस आयुक्त थरवई/ सहायक पुलिस आयुक्त, हण्डिया/ सहायक पुलिस आयुक्त, करछना/ सहायक पुलिस आयुक्त, बारा/ सहायक पुलिस आयुक्त, कौधियारा/ सहायक पुलिस आयुक्त, मेजा/ सहायक पुलिस आयुक्त, लाइन्स/ सहायक पुलिस आयुक्त, प्रज्ञान/ सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात/ सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय/ सहायक पुलिस आयुक्त आकिक/ मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कार्य करते हैं।

पुलिस उपायुक्त नगर के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली/ सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन /सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगंज/ सहायक पुलिस आयुक्त, अतरसुइया/ सहायक पुलिस आयुक्त, कर्नलगंज /सहायक पुलिस आयुक्त, झौंसी कार्य करते हैं।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त, सोराव/ सहायक पुलिस आयुक्त, फूलपुर/ सहायक पुलिस आयुक्त थरवई/ सहायक पुलिस आयुक्त, हण्डिया कार्य करते हैं।

पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त, करछना/ सहायक पुलिस आयुक्त, बारा/ सहायक पुलिस आयुक्त, कौधियारा/ सहायक पुलिस आयुक्त, मेजा कार्य करते हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात कार्य करते हैं एवं अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के द्वारा समस्त जनपद के अपराधों का पदेन पर्यवेक्षण रहता है।

1.1- पुलिस कमिशनरेट जनपद प्रयागराज में पुलिस का संगठन

पुलिस कमिशनरेट जनपद प्रयागराज में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

अधिकारीगण	पद	
1	2	3
पुलिस आयुक्त	पुलिस आयुक्त	
अपर पुलिस आयुक्त	अपर पुलिस आयुक्त	
	सहायक पुलिस आयुक्त	थाना
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	
पुलिस उपायुक्त नगर	सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली	कोतवाली
		शाहगंज
		खुलदाबाद
	सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन	कैण्ट
		सिविल लाइन्स
		महिला थाना
		शिवकुटी
	सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगज	पुरामुफ्ती
		एचरपोर्ट
		धूमनगंज
	सहायक पुलिस आयुक्त अतरसुइया	मुट्ठीगंज
		करैली
		अतरसुइया
	सहायक पुलिस आयुक्त वर्नलगंज	कर्नलगंज
		जार्जटाउन
		कीड़गंज
	सहायक पुलिस आयुक्त झूसी	दारागंज,
		झूसी
पुलिस उपायुक्त गगानगर	सहायक पुलिस आयुक्त हप्पिडया	हप्पिडया
		उत्तरोप
		सरायममरेज
	सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर	फूलपुर
		बहरिया
		मऊआइमा
	सहायक पुलिस आयुक्त सोराव	सोराव
		नद्यामगंज
		होलागढ़
	सहायक पुलिस आयुक्त थरवई	थरवई
		फाफामऊ
		सरायइनायत
पुलिस उपायुक्त यमुनानगर	सहायक पुलिस आयुक्त करछना	करछना

		नेनी
		आंदोलिक क्षेत्र
सहायक पुलिस आयुक्त मेजा	मेजा	
	माण्डा	
	कोराव	
सहायक पुलिस आयुक्त बारा	बारा	
	शकरगढ़	
	लालापुर	
सहायक पुलिस आयुक्त कौधियारा	कौधियारा	
	घूरपुर	
	खीरी	
अपर पुलिस उपायुक्त यातायात	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात	राम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की यातायात व्यवस्था
अपर पुलिस उपायुक्त अपराध		समस्त जनपद के अपराध एवं कानून एवं व्यवस्था का पदेन पर्यवेक्षण रहता है।
अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल		
अपर पुलिस उपायुक्त हाईकोर्ट सुरक्षा		

1.2—जनपद में स्थित विभिन्न इकाइयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी—

क्र०स०	इकाई का नाम	पर्यवेक्षक सेवाधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीकारक
1	2	3	4
1	वायरलेस शाखा	सहायक रेडियो अधिकारी	पुलिस उप महानिरीक्षक
2	स्थानीय अभिसूचना, इकाई	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू०	पुलिस आयुक्त
3	फायर सर्विस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	
4	नगर नियन्त्रक कक्ष	सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली	पुलिस उपायुक्त नगर
5	यातायात पुलिस	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात	अपर पुलिस उपायुक्त यातायात
6	एनटी टेनिग सेल		पुलिस उपायुक्त यमुनानगर
7	अवैध मादक पदार्थ		पुलिस उपायुक्त नगर
8	पुलिस लाइन्स	सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स	
9	भवन	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	अपर पुलिस उपायुक्त यमुनानगर
10	फील्ड यूनिट	सहायक पुलिस आयुक्त शिवकुटी	अपर पुलिस उपायुक्त यमुनानगर
11	पत्रव्यवहार शाखा	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
12	आकिक शाखा	सहायक पुलिस आयुक्त आकिक	
13	विझॉच प्रकोष्ठ	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	पुलिस अधीकारक गंगानगर
14	महिला सहायता प्रकोष्ठ		अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल
15	डी0सी0आर0बी0		अपर पुलिस उपायुक्त अपराध
16	न्यायालय प्रकरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल
17	सम्मन सेल		अपर पुलिस उपायुक्त अपराध
18	मानवाधिकार प्रकोष्ठ	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	पुलिस उपायुक्त यमुनानगर
19	अगुस्त छाप प्रकोष्ठ	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	पुलिस उपायुक्त यमुनानगर
20	परिवार परामर्श केन्द्र		अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल
21	पासपोर्ट सेल	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिसे के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिकन्यम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा

किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2- अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य ।

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०स०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं—

2.1—पुलिस अधिनियम ।	
धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सबध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ माने जाते हैं तथा उन्हे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधत प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआघर या भूष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लापारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दे तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30 (क)	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी दोर का बघ करने, उसे निर्दयता से मारने या यातनादेने, दोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, गार्म पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतायाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले ले।
34 (क)	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।

2.2—पुलिस रेगुलेशन —	
प्रस्तार	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त	पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं ये अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए

	<p>दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी सब्बवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं</p> <p>पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त यदि मुख्यालय पर उपस्थित है तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे। उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैधानिक सूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेशनर्स से उनका सपर्क होना चाहिए और उन्हे विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आधोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार मेट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार रीपे जाने वाले राष्ट्रिय अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने सबैधित अतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसारण किया जाना चाहिए।</p>
17 अपर पुलिस आयुक्त / पुलिस उपायुक्त / अपर पुलिस उपायुक्त / सहायक पुलिस आयुक्त	अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त के द्वारा पुलिस आयुक्त के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस आयुक्त के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व गोला बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियन्त्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के सबै में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर	सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के सम्बन्ध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जाच पड़ताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस थाना क्षेत्र में निवारक और अन्योषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्योषण में मार्गदर्शन करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइसेन्सी दुकानों का निरीक्षण करना, अधीनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्द रहना। (यहांमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)
43 से 50 थानाध्यक्षों	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रिजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिये अधीनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिये। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिये। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कान्स्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा।

	थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नं 299 भरकर पुलिस अधीकारी को सूचना भेजोगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्राप्त कालीन परेड कराना, भारतीय अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधिनस्थों को बताना अन्वेषण करना होता है।
55	हेड मोहरिर के कर्तव्य ➤ रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। ➤ हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म नं 224) ➤ यदि पुलिस अधीकारी आदेश दें तो धारा 174 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स० नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स० के रूप में सदिग्य अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के सरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुद्ध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुड़सवार	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा आपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द०प्र०सं० की अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य

धारा

36 पुलिस थाने के भारतीय अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाना क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शवित्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भारतीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शवित्रियों

1. राज्य अपराध की दशा में।
2. कब्जे में गृह भेदन का उपकरण
3. उद्घोषित अपराधी
4. चुराई गयी सम्पत्ति की समायना।
5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा।
6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा।
7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध।
8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर वाचित अपराधी।

42

नाम व निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
46 गिरफ्तारी वचन से, छूकर और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग करके की जाएगी।

- 47 उस संस्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
- 48 गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
- 49 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
- 50 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
- 51 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
- 52 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से आक्रामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
- 53 पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
- 54 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
- 55 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 56 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभियान में निरुद्ध न रखना।
- 57 बिना वारण्ट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
- 58 अभियान से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।
- 60 बन्द रथान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
- 100 ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई या होने का सन्देह हो।
- 102 उपनिरीक्षक व उससे उच्च समरत अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-वितर करने की शक्ति।
- 129 ऐसे जमाव को तितर वितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
- 130 जमाव को तितर वितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
- 131 धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्तक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से सरक्षण।
- 132 ग्रल्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
- 149 संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
- 150 उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
- 151 लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
- 152 खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/अधिग्रहण।
- 153 संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्द की जायेगा। इतिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इतिला को अभिलिखित करने से इकार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इतिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
- 154 असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इतिला का सार संबधित पुरितका में प्रविष्ट करायेगा और इतिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
- 155

156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी थीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जफ्टी के कारणों को लेखदाद किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड होने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखदाद किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ३००के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के नौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या भिन्न से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने हेतु वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियाँ क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जायेगी।
10. जॉच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अकेत की जाएगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिदेशक उ0प्र० के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 कर्तव्य

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी:-

1. संगठित अपराधियों तथा भाड़े पर हत्या, फिरीती हेतु अपहरण, रोड होल्ड अप, बैंक डॉकेटी, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तारकरी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलतावादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्त्व, माफिया आदि को विनिहत कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनाये एकत्र कर उन्हें पजीकृत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-ताछ आख्या तैयार करना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वाइचित अपराधी सम्बन्धी:-

1. सक्रिय एवं वाइचित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलावाना, गिरफ्तारी हेतु कार्यवोजना बनाकर दक्षिण दिलावाना।
2. फ्रांड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण—

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु चोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में—

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर० केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डॉकेटी, फिरीती, हेतु अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु (गैंगस्टर एकट के केरों को छोड़कर) शेष समस्त एस0आर० केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य— क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

र— फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल— क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रुम करना।

2.5.1.5 अभियोजन:-

न्यायालय में लबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहरिं की मासिक गोष्ठी तथा सेशन द्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार**2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी—**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अद्दशासकीय पत्र संख्या एक—252—82 दिनांक 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु स0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्य—

शासनादेश रख्या 1460/छ.—पु—1—99—51/99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अकन करना।

2.5.2.3 दण्ड सम्बन्धी—

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयत्नित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जाच करायी जा सकती है परन्तु जाच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलावाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2.4 ससद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य—

ससद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय—समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा—निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर**3.1****3.2 अनुसंधान/विवेचना****3.3**

क्र0 स0	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1.	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154द0प्र0स0 के अनुसार संशोध अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इतिलाकी प्रतिलिपि सूचना दाता को नि शुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इतिलाकी को अभिलिखित करने से इनकार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इतिलाकी द्वारा दी जा सकती है।	अधिलाल्य
2.	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0स0 के अनुसार	यथाशीघ्र
3.	अन्येषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द0प्र0स0 के अनुसार	यथाशीघ्र
4.	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेषाअपराधों की स्थिति में संबंधित दोषाधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र

5.	साक्ष का सकलन	द0प्र0स0 के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र
6.	नवशा नजरी तैयार करना	द0प्र0स0 के अनुसार	निरीक्षण के समय
7.	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	"	"
8.	सर्वीकृति का लिखा जाना	"	"
9.	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	"	"
10.	तलाशी	"	"
11.	निरुद्ध	"	"
12.	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	"	"
13.	आरोप पत्र का दाखिल करना	"	"

3.1 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

कक्ष सं0	नियन्त्रण कक्ष	टेलीफोन नं0	कार्य
1	जिला नियन्त्रण कक्ष	100, 9454402863	जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।
2	नगर नियन्त्रण कक्ष	100, 9454402863	नगर नियन्त्रण कक्ष में चार चौता भोवाइल विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित हैं जो किसी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियन्त्रित करते हैं।
3	फायर नियन्त्रण कक्ष	101	फायर नियन्त्रण कक्ष में फायर सर्विस की गाड़िया उपलब्ध रहती है। पूरी एक टीम प्रत्येक समय टर्न आउट की स्थिति में रहती है जो किसी भी आग लगने की सूचना पर 05 मिनट के अन्दर पर अपने गनतव्य को रखाना होती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागू किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। यर्षाकाल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.4 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया—

3.4.1 थाना पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

कक्ष सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि

1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवसाधिकारी/ उपस्थित काठो बलक द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अकित करना	दिवसाधिकारी/उपस्थित काठो बलक द्वारा	अविलम्ब
3	प्रार्थना पत्र की जानशिकायत रजिस्टर में अकित करना	उपस्थित काठो बलक द्वारा	अविलम्ब
4	जॉच अधिकारी नियुक्त करना व जॉच हेतु सीपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस
5	जॉच अधिकारी द्वारा भीके पर जाकर जॉच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	5 दिवस
6	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस
7	जॉच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही यदि आवश्यक हो, करना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
8	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित काठो बलक द्वारा	01 वर्ष तक

3.3.2 पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त को डाक से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्रम सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की रामबाचधि
1	पुलिस आयुक्त कार्यालय में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा	अविलम्ब
2	पुलिस आयुक्त द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय) द्वारा	1 दिवस
3	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जॉच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जॉच हेतु भेजना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	2 दिवस
6	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त के काठो बलक द्वारा आर्डर बुक करना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के काठो बलक द्वारा	अविलम्ब
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जॉच हेतु रखना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जॉच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8	जॉच अधिकारी द्वारा भीके पर जाकर जॉच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	8 दिवस
9	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच रिपोर्ट की समीक्षा करके	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब

	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को प्रेषित करना		
10	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जॉच सही पाये जाने पर जॉच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	अविलम्ब
11	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त के काठ वर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.3 पुलिस आयुक्त को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-

क्रम संख्या	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस आयुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित पुलिस उपायुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त/ थानाध्यक्ष को जॉच हेतु आदेशित करना	पुलिस आयुक्त द्वारा	01 दिवस
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अकिता करना व संबंधित को जॉच हेतु प्रेषित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3.	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/ थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जॉच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना।	सहायक पुलिस आयुक्त/ थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में
4.	सहायक पुलिस आयुक्त /थानाध्यक्ष कार्यालय के काठ वर्क द्वारा आँडर बुक करना	सहायक पुलिस आयुक्त /थानाध्यक्ष/ कार्यालय के काठ वर्क द्वारा	अविलम्ब
5.	पुलिस आयुक्त द्वारा जॉच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना।	पुलिस आयुक्त द्वारा	2 दिवस
6.	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस आयुक्त के गोपनीय कार्यालय के काठ वर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.4 थाना पंचायत दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

(उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 2021 पी/छ—पु—3/2005, दिनांक 21.6.2005 गृह (पुलिस) अनुभाग थाना पंचायत दिवस में प्राप्त जनसमर्थनों के निस्तारण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने के समय केवल पीड़ित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम, दण्ड, भेद की नीति के पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाय। इसके लिये थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है, क्योंकि अधिकाश समस्याएं भूमि विवाद, सरकश व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा तथा जोर दबरदस्ती से सम्बन्धित होती है।

1. थाना स्तर पर उभय पक्ष तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकाश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।

2. थाना स्तर पर जन सामान्य के प्रति संवेदनशीलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना जाने के प्रति भय की भावना विद्यमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थाने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका राजान लेकर पुलिस अधीकारक/जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, इससे लोगों का थाने पर जाने में सकोच हटेगा तथा उनमें थाना जाने के प्रति व्याप्त भय की भावना भी समाप्त होगी और थाने में प्रमुख एवं अधिकारिता के माहील में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।
3. इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु थाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय—
- क. प्रत्येक शनिवार को थाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिस कर्मी थाने पर उपस्थित रहेंगे।
 - ख. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाय तो प्रत्येक तैमास बदला जाया करेगा।
 - ग. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जी0डी0 में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बन्ध में पुनः शिकायत का अवसर उत्पन्न होने पर उक्त इन्द्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।
 - घ. जिन मामलों में भीका मुवायना की आवश्यकता हो, उसमें 12.00 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर भीके पर भेजी जायेगी। महत्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उप जिला भजिस्ट्रैट तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें समस्या का निराकरण करेंगे।
 - ঙ. थाना पंचायत दिवस में प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।
 - চ. थाना पंचायत दिवस का पूरा लाभ जनसामान्य को मिल सके, इसके लिये सभी सम्बव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय।
 - ছ. इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं महलायुक्त के स्तर पर की जायेगी। उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा।

3.3.5 फायर सर्विस इकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

क्र० सं०	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिन
2	पेटी/डीलर (फुटकर डीजल/पेट्रोल)	जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी/मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल/लाज/ रेस्टोरेंट धर्मशाला	जिलाधिकारी/पर्यटन अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
7	व्यावसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/ आवास विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8	फैब्रिक	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

3.3.6 जनपद प्रयागराज में नियमन

3.3.6.1 जनपद प्रयागराज नगर क्षेत्र में भारी व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश व संचालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश।—

(अ)

वाहन

भारी व्यावसायिक

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो भारी वाहन कानपुर की तरफ से वाराणसी लखनऊ अथवा रीया रोड की तरफ, लखनऊ से कानपुर या वाराणसी की तरफ अथवा वाराणसी से आने वाले कानपुर अथवा लखनऊ की तरफ जाना चाहते हैं सबका प्रवेश नगर क्षेत्र में समय 06.00 से 10.30 तक एवं 12.30 से 18.00 बजे तक पूर्णतः वर्जित है। प्रतिबन्धित समय के उपरान्त समस्त वाहन बिना रोक टोक के आते जाते हैं रविवार को यह प्रतिबन्ध नहीं है।
- कानपुर की तरफ से आने वाली भारी वाहन लोकसेवा जी0टी0 जवाहर होते हुए वाराणसी अथवा रीया रोड को एवं लखनऊ जाने हेतु लोक सेवा, तेलियरगंज होते हुए जाते हैं।
- वाराणसी की तरफ से आने वाले व्यवसायिक वाहन जी0टी0 जवाहर लोकसेवा, हाई कोर्ट की तरफ से कानपुर व लखनऊ जाने के लिए लोकसेवा से तेलियरगंज की तरफ से तथा रीया रोड जाने के लिए बिना रोक टोक के जी0टी0 जवाहर चौराहे होकर बागड़ धर्मशाला से चले जाते हैं।
- लखनऊ की तरफ से वाराणसी जाने हेतु तेलियरगंज लोकसेवा जी0टी0 जवाहर की ओर से अथवा फाफामऊ से बाये सहसो होते हुए चली जाती है। कानपुर जाने के लिए लोकसेवा से हाईकोर्ट की तरफ से या रीया रोड जाने हेतु लोकसेवा जी0टी0 जवाहर से बागड़ धर्मशाला से होते हुए चले जाते हैं।
- रीया की तरफ से वाराणसी जाने हेतु बेरोक टोक के बागड़ जी0टी0 जवाहर होते हुए लखनऊ जाने हेतु जी0टी0 जवाहर लोकसेवा तेलियरगंज होते हुए एवं कानपुर जाने हेतु जीटी जवाहर लोकसेवा हाईकोर्ट हेतु चले जाते हैं।
- कानपुर से वाराणसी जाने वाले वाहन जी0टी0 रोड बाईपास से चले जाते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि वाराणसी से कानपुर व कानपुर से वाराणसी की ओर जाने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश न करने पाये।

यात्री वाहनों के संबंध

(ब)

मे।—

(प) परिवहन निगम की बसों के संबंध में —

(अ) सिविल लाइन्स डिपो— शहर क्षेत्र से वाराणसी तथा जीनपुर जाने के लिए मेडिकल चौराहा, जी०टी० सीमेन्टी, जी०टी० जवाहर से शास्त्री ब्रिज होते हुए, लखनऊ/प्रतापगढ़/फैजाबाद/सुल्तानपुर जाने हेतु लोकसेवा आयोग, तेलियरगंज, फाफामऊ होते हुए रोडवेज की बसे जाती है।

(ब) लीडर रोड डिपो— कानपुर/झाँसी/दिल्ली जाने के लिए पानी की टकी चौफटका, धूमनगज होते हुए चली जाती है।

(स) जीरो रोड बसे— मिर्जापुर/रीवा/म०प्र० की तरफ जाने वाली समर्त बसे रामबाग, बागड धर्मशाला, न्यू ब्रिज नैनी होते हुए चली जाती है।

(प) टैम्पो/टैक्सी स्टैण्ड व रूट

स्टैण्ड

कचहरी चौराहा—

1. कचहरी, म्योहाल, लोक सेवा, भिश्र भवन, हनुमान मंदिर पूर्वी, मेडिकल चौराहा से रामबाग
2. कचहरी से म्योहाल, धोबी घाट, हाईकोर्ट, पानी टकी रेलवे स्टेशन व चौफटका, धूमनगज, मुण्डेरा को जाती है।
3. कचहरी से लक्ष्मी टाकीज चौराहा, बैंक रोड, तेलियरगंज।

रेलवे स्टेशन—

रेलवे स्टेशन, जानसेनगंज, रामबाग बैरहना, आलोपीबाग होकर जाती है। यह पानी टकी चौफटका, धूमनगज, बमरौली तक जाती है। रेलवे स्टेशन से जानसेनगंज, लोकसेवा, म्योहाल कचहरी।

रामबाग—

रामबाग बागड धर्मशाला, लेप्रोडी तिराहा, नैनी तक जाते हैं।

नगरीय एवं उप नगरीय बस सेवा—

ज०एन०एन० य०आर०एम० के अन्तर्गत लो फ्लॉर बसे अंदावा से बम्हरौली तथा रेमण्ड से फाफामऊ तक चलती है एवं इसी योजना के अन्तर्गत मिनी बसे कचहरी से हनुमानगंज, कचहरी से कोरांव, शकरगढ़, हण्डिया, कुण्डा आदि जगहों को जाती है। पूर्व में प्रवलित महानगर बस सेवा को जनपद की परिवहन विभाग की डिपो से सम्बद्ध कर दिया गया है।

नगर क्षेत्र में एकल दिशा यातायात व्यवस्था :-

निरजन टाकिज की तरफ से आने वाला यातायात जानसेनगंज चौराहे से रेलवे स्टेशन की ओर एवं बाये स्वामी विवेकानन्द मार्ग की ओर जा सकेगा किन्तु नेताजी सुभाष मार्ग पर नहीं जायेगा। घण्टाघर चौराहे से जानसेनगंज की तरफ जाने वाला यातायात जानसेनगंज चौराहे से बाये रेलवे स्टेशन सामने निरजन टाकिज एवं दाहिने विवेकानन्द मार्ग की ओर जा सकता है। इस मार्ग से किसी तरफ का यातायात घण्टाघर की ओर नहीं जायेगा।

जीरो रोड से स्थामी विवेकानन्द मार्ग जाने के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन मार्ग का प्रयोग किया जायेगा।

घण्टाघर से जी०टी० रोड की ओर आने वाला यातायात विसाता पटरी की ओर से आयेगा। जीटी रोड से घण्टाघर की ओर जाने वाला यातायात विसाता पटरी की तरफ से जायेगा।

3.3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

क्र. सं.	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	3 / 181	250–500
2	किसी अवयरक द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उससे चलाना	4 / 181	500 व 3 माह का कारावास व दोनों
3	बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	5 / 181	1000 व 3 माह करावास या दोनों
4	बिना पजीकरण गाड़ी को चलाना	39 / 192	2000–3000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
5	बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56 / 192	2000–3000 या 6 माह का कारावास या दोनों
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना	66 / 192	2000–3000 या 6 माह का

	परमिट गाड़ी चलाना		कारावास या दोनों
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	400–1000
8	एकल दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000–2000
9	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000–2000
10	शांति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115 / 194	1000–2000
11	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	1000–2000
12	बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बाही तरफ होना	120 / 177	100–300
13	यातायात विन्हों का पालन न करना	119 / 177	100–300
14	बिना संकेत के गाड़ी चलाना	121 / 177	100–300
15	खतरनाक दशा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो	122 / 177	100–300
16	गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना	123 / 177	100–300
17	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 178	200–300
18	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128 / 177	150–300
19	बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालाना	129 / 177	150–300
20	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मागने पर पेश न करना	130 / 177	150–300

21	किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मागने पर पेश न कर पाना	130 / 177	150–300
22	किसी टैक्सी या टिपहिया टैम्पो द्वारा सवारी ले जाने से झन्कार करना	178(3)	50–200
23	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर न, रोकना	132 / 179	250–500
24	स्टाप लाइन का उल्लंघन	17 / 177	100–300
25	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	100–300
26	अधिक धुआँ वाहन से निकलना	190(2)	1000–2000
27	बिना इन्श्योरेस के वाहन चलाना	146 / 196	100 य 3 माह का कारावास या दोनों
28	भार वाहन में पशुओं को ले जाना	59 / 177	150–300
29	भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना	46 / 177	150–300
30	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	300–500
31	बांये से गाड़ी को ओवरट्रैक करना	110 / 177	100–300
32	बेतहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
33	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाना	185 / 202	1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
34	मालिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा	197 / 202	1000–2000 2 वर्ष

	चलाना		कारावास या दोनों
35.	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर बाहन चलाना	125 / 177	100-300
36	गाड़ी के रनिंग बोर्ड में सवारी लादना, पायदान, छत पर, बोनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	100-300

उपरोक्त धाराओं में किसी भी बाहन के अभिलेखों को घेक करने तथा सगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के हेठली (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर भीके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती हैं जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती हैं। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को बाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि बाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपरिथित नहीं होता है तो संबंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं। साथ ही बाहनों की चेकिंग एवं उनका समायोजन/समन शुल्क जमा करने का अधिकार समस्त धाना प्रभारियों को दे दिया गया है। समन शुल्क से ग्राप्त धन पुलिस कार्यालय के आकिक शाखा में जमा कराया जाता है।

मोटर बाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये बाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.3.7.1

एफ0आर0ओ0

(विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में - प्रयागराज के पुलिस आयुक्त द्वारा बांग्लादेशी राष्ट्रियों व अन्य विदेशी राष्ट्रियों के सम्बन्ध में एफ0आर0ओ0 एवं पाकिस्तानी राष्ट्रियों के सम्बन्ध में सिविल अधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रियों के सम्बन्ध में -

पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी राष्ट्रियों सहित अन्य सभी देशों के राष्ट्रिय विदेशी राष्ट्रिय हैं।

(अ) अन्य विदेशी राष्ट्रियों के सम्बन्ध में- जनपद में आगमन वाले समस्त विदेशी राष्ट्रियों द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट indianfrro.gov.in/efrroes पर पंजीकरण/ वीजा वृद्धि/ अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है 180 दिवस वीजा अवधि या उससे अधिक अवधि व कम वीजा अवधि पर आये हुए विदेशी राष्ट्रियों का पंजीकरण दिये गये वीजा के प्रकार पर निर्भर करता है एवं विदेशी राष्ट्रियों का पंजीकरण किये जाने हेतु समयावधि का उल्लेख विदेशी राष्ट्रियों के द्वारा प्राप्त किये गये वीजा पर पृष्ठाकृत रहता है। यदि समयावधि का पृष्ठाकृत नहीं रहता है तो विदेशी राष्ट्रिय भारत आगमन की तिथि से 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हैं।

(ब) पाकिस्तानी व बांग्लादेशी विदेशी राष्ट्रियों के सम्बन्ध में- जनपद में आगमन वाले समस्त विदेशी एवं पाकिस्तानी राष्ट्रियों द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट indianfrro.gov.in/efrroes पर पंजीकरण/ वीजा वृद्धि/ अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी राष्ट्रियों का पंजीकरण इनके द्वारा प्राप्त किये गये वीजा के अनुसार किया जाता है जनपद में वास कर रहे बांग्लादेशी राष्ट्रियों एवं पाकिस्तानी राष्ट्रियों (एलटीवी) की वीजा वृद्धि एवं अन्य समस्त सुविधाओं का सम्पादन ऑनलाइन किया जाता है।

3.3.7.2

पासपोर्ट

(अ) कार्यालयी का चरण:- पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्न स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय, लखनऊ।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

जमा आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् संबंधित जनपद के

पुलिस अधिकारियों (उ०नि० व ह०का०(प्रो०)) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अकित होते हैं की जाच की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सलिलता के विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभि० मुख्यालय से प्राप्त जाच आख्या तथा जनपद के थानों व एल०आई०य० से प्राप्त जाच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी०ओ०) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ या जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जाच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदक को प्राप्त कराये जाते हैं।

- (ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :— आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात् निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।
- (१) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी / जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जाच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।
 - (२) जनपद पुलिस / एल०आई०य० / अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जाच की जाती है।
 - (३) जाच आख्या नोडल अधिकारी (जी०ओ०) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।
 - (स) कार्यवाही की अवधि—

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जॉच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राप्तिधान है।

3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

शासनादेश संख्या 1773/छ-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25.04.01 के अनुसार गनर/शैलो की अनुमत्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीकक (अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना ईकाई सदस्य होते हैं।

जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानक

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर	व्यवधार का प्रतिशत
सासद / विधायक	(क) एक सुरक्षाकर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी सादे घस्त्रों में	(क) निशुल्क (ख) 25 प्रतिशत पर
नियर्तमान सासद / विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष / जिला पंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख / कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की सरतुति पर	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी	10 प्रतिशत पर
जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला / गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था	समिति के निर्णय के अनुसार

शासनादेश स०-2301/६-पु०-२-२००४-७००(१)-२००१ दिनांक 18.06.04 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निशुल्क देने का प्राप्तिधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय समिति द्वारा उसके जीवन भय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की सरतुति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षाकर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा

स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मान0 सांसद/विधायक/मामंत्री गण उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मान0 न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्द संरक्षित महानुभावों को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षाकर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

100 प्रतिशत निजी व्यवमार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर ₹0 16130/- प्रतिमाह तथा 10 प्रतिशत पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर ₹0 1613/- प्रतिमाह धनराशि पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देशनुसार पुलिस कार्यालय की आकिक शाखा मे जमा करायी जाती है।

3.3.9 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया

क्र0 स0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, सम्बन्धित एस0डी0एम0 / ००सी0एम0 कार्यालय से	पुलिस उपायुक्त	कार्य दिवस / कार्यालय अवधि मे किसी भी समय
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु जाच किया जाना	संबंधित निरीक्षक / थानाध्यक्ष	15 दिवस मे
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद मे किये जगये अपराध के संबंध मे जाच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	03 दिवस मे
4	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जाच किया जाना	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त	06 दिवस मे
5	पुलिस उपायुक्त द्वारा जाच किया जाना	पुलिस उपायुक्त	06 दिवस मे
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	पुलिस उपायुक्त कार्यालय मे नियुक्त कर्मी द्वारा	अविलम्ब

शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आयेदक संबंधित थाने मे प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.10 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

3.3.10.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन

क्र0 स0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	आयेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि मे
2.	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप मे लिया जाना	आकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3.	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जाच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	1 दिवस

4.	संबंधित थाने पर जांच य सत्यापन	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	06 दिवस में
5.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच य सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	06 दिवस में
6.	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

3.3.10.2 पुलिस वेरीफिकेशन

क्र0 सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीकार कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3.	संबंधित थाने द्वारा जांच य सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जांच य सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.3 सर्विस वेरीफिकेशन

क्र0 स0	कार्य	किसके रूप से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु सबधित थाने को जाच हेतु भेजना	कार्यालय के सबधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	सबधित थाने द्वारा जाच व सत्यापन किया जाना	सबधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जाच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन सबधित जनपद को भेजना जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.4. मिलिट्री सर्विस वेरीफिकेशन

क्र0 स0	कार्य	किसे रूप से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1.	मिलिट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2.	चरित्र सत्यापन हेतु सबधित थाने को जाच हेतु भेजना	कार्यालय के सबधित लिपिक द्वारा	तत्काल
3.	सबधित थाने द्वारा जाच व सत्यापन किया जाना	सबधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4.	एल0आई0यू0 द्वारा जाच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5.	चरित्र सत्यापन सबधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.5 ठेकेदारी वेरीफिकेशन

क्र0 स0	कार्य	किसके रूप से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	आकिक कार्यालय के सबधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु सबधित थाने को जाच हेतु भेजना	कार्यालय के सबधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	सबधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा सत्यापन को सस्तुति / असस्तुति करना	सबधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	07 दिवस में
5	एल0आई0यू0 द्वारा जाच व सत्यापन किया	सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	07 दिवस में

	जाना	एल0आई0यू0 द्वारा	
6	चारित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मापदण्ड

4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्र0सं0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया सहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में
2.	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	07 दिवस
3	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
4	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस
5	फायर सर्विस इंकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जाँच	ज0प्र0 शासन के पत्र सं0 616भा /छ वीजा अनुभाग-4-2005- 17/2/64/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 20 दिवस में
7	शस्त्र लाइसेन्स की सरतुति किया जाना	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06 दिवस
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
11	मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की समूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन करने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन द्वारा विधम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन एवं धैर्य बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व इमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधि अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्मान एवं लोकतात्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सीहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

क्र0स0 अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

1. पुलिस अधिनियम 1861
2. भारतीय दण्ड संहिता 1861
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
5. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
6. साह्य अधिनियम 1872
7. आमस एक्ट 1959
8. सिविल अधिकार संरक्षण अधिकार 1955
9. अनुजाति व अनुजनजाति अधिनियम 1989
10. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिकार 1949
11. आवश्यक वस्तु अधिकार 1955 (उम्प्र० संशोधन अधिकार 1978)
12. चौर बाजारी नियम 1980 और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिकार 1980
13. खाद्य अपमिश्रण नियम 1954
14. उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986
15. पशु अतिवाह अधिकार 1861
16. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
17. बन्दी अधिनियम 1900
18. सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867
19. किशोर न्याय अधिनियम 1986
20. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
21. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
22. खापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
23. खापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
24. बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930

25. लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
 26. पिस्फोटक अधिनियम 1984
 27. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
 28. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
 29. अपराधी परिवेशा अधिनियम 1958
 30. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
 31. महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशोध अधिनियम 1986
 32. भारतीय धन अधिनियम 1927
 33. धन संरक्षण अधिनियम 1980
 34. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
 35. दन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
 36. यिप अधिनियम 1919
 37. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
 38. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया यिनियम 1994
 39. रेल अधिनियम 1989
 40. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
 41. रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कर्जा) अधिनियम 1966
 42. पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
 43. पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
 44. राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
 45. केविल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
 46. व्याज अधिनियम 1978
 47. उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
 48. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970
 49. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
 50. उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970
 51. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
 52. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
 53. उत्तर प्रदेश लकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
 54. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
 55. उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
 56. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील नियमावली) 1991
 57. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
 58. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
 59. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964
 60. उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
 61. उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
 62. उत्तर प्रदेश गी सेवा आयोग अधिनियम 1994
 63. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
 64. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
 65. वित्तीय हस्त पुरितका
 66. समय-समय पर निर्गत शासनादेश
 67. उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रवलित अन्य विधियाँ भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई / शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अधिकारी जब तक उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के संबंध में दी गई	सभी पुलिस थानों	तीन साल

		सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	पर	
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण की स्वानगी वापसी छायूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3	सभी स्टैपिंग आईजर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नष्ट होगी
4	भगोड़ा (मफ्फर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5	रोकड़ बही	घनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाने इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस अफिस रिकार्ड रूम में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7	विक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
8	356 द0प्र0स0 के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	"	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द0प्र0स0 के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	"	"	"
10	गोपनीय राष्ट्राधिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनीतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	"	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर	पांच साल
12	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदार को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाय
13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिक न0 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का	संधी थानों/पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद

		उल्लेख		
15	केस डायरी	विवेचना मे कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों / विवेचकों के पास	पांच साल
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग मे विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाने पर	एक साल
17	अगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है।	सधी थाने पर	स्थायी रूप से
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूची	"	तीन साल
19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी मे	पूर्ण होने के पांच साल तक
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
21	जाच पर्ची 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	"	तीन साल
22	जाच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र मे मिलने वाले सदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	"	"
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	"	स्थायी रूप से
24	पंचायतनामा जिल्ड	अस्वामायिक मृत्यु की जाच का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं मे	पांच साल
26	गाल मसारका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एव बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	पांच साल
27	रिमाण्डलीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	एक साल
28	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थानों पर	पूर्णता से 5 साल तक
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	सदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	"	दो वर्ष
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यरत अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	"	"
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	दोत्र की गोपनीय अभिसूचनाये	"	स्थाई
32	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रो संबंधी निर्देश	"	"
33	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रो संबंधी निर्देश	"	"
34	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध मे	समस्त थानों पर	उनके मृत्यु तक

35	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	होत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोट्र के सक्रिय अपराधों की सूची	"	निमरानी उथित समझे जाने तक
36	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	"	5 वर्षों तक
37	आर्डर बुक न्यायालय	कोट्र प्रोसीजर की सूची	"	5 वर्षों तक
38	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	"	5 वर्षों तक
39	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खत्तीनी व भवनों के संबंध में।	"	स्थायी
40	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।	"	स्थायी
41	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	"	5 वर्षों तक
42	जमानत रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	"	5 वर्षों तक
43	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	"	5 वर्षों तक
44	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में	2 वर्षों तक
45	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	कोट्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
46	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	"	स्थायी
47	अवकाश रजिस्टर	आकर्षित अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1 वर्ष तक

6.2 सहायक पुलिस आयुक्त/होत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 स0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	अपराध रजिस्टर	राफिल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
2	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	स्थायी
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समरत परिपत्र	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5.	आर्डर बुक शस्त्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की	सहायक पुलिस	05 वर्ष तक

	प्रार्थना पत्र	सूची	आयुक्त कार्यालय में	
6.	अवकाश रजिस्टर	आकर्षित अवकाशों का विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
7.	विशेष अपराधों पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
8	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.3 पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
2.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3.	आर्डर बुक शस्त्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त में	05 वर्ष तक
4.	अवकाश रजिस्टर	आकर्षित अवकाशों का विवरण	पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त में	05 वर्ष तक
5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त में	स्थायी
6.	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त में	05 वर्ष तक

6.4 पुलिस कमिशनरेट स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	आशुलिपिक पुलिस आयुक्त गोपनीय कार्यालय में	स्थायी

2.	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	05 वर्ष तक
5.	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6.	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
7.	अवकाश रजिस्टर	आकर्षित अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
8.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	वाचक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	स्थायी
9.	सर्विस बुक / घरित्र पंजिका	समस्त रैकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10.	कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में	आकिक शाखा	स्थायी
11.	आकर्षितता निधि रजिस्टर	आकर्षितता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में	आकिक शाखा	स्थायी
12.	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन	स्थायी
13.	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन	40 वर्षों तक

7. जनता की परामर्शदात्री समितियाँ

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अन्यायोदनों पर नीति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

क्र0 स0	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आयुत्ति
1.	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यवितयों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय-समय पर
2.	पुलिस पेनशनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेशनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3.	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के	त्रैमासिक

			समाधान हेतु	
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शाति समिति	क्षेत्र के सम्मान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानु सार
7	मेला समिति	मेलों से संबंधित सम्मान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मासिक
8	सासद विधायकगण व गोप्ती की	समस्त सासद व विधायकगण की गोप्ती	शिकायतों के निरतारण व सुझाव / परामर्श के लिये	मासिक

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री

जनपद प्रयागराज के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

पदनाम अधिकारीगण	आवास नं०	कार्यालय नं०	सी.यू.जी. मो. नं०
पुलिस आयुक्त	0532-2440700	0532-2641902	9454400248
अपर पुलिस आयुक्त			
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय			
पुलिस उपायुक्त नगर	2556695	2240438	9454401014
पुलिस उपायुक्त गंगानगर	2600777	2641902	9454401015
पुलिस उपायुक्त यमुनानगर		2641902	9454401013
अपर पुलिस उपायुक्त यातायात	2266784	2641902	9454401201
अपर पुलिस उपायुक्त अपराध	—	2641902	9454401908
अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल			

	अपर पुलिस उपायुक्त हाईकोर्ट सुरक्षा			
1.	सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली	—	—	9454401273
	सहायक पुलिस आयुक्त करैली			
2.	सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगज	—	—	9454401274
3.	सहायक पुलिस आयुक्त अतररसुड़या	—	—	9454401275
4.	सहायक पुलिस आयुक्त शिवकुटी	—	2641902	9454401277
5.	सहायक पुलिस आयुक्त झूंसी		2641902	9454401278
6.	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	—	2641902	9454401279
	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात			
	सहायक पुलिस आयुक्त लाईन्स			
7.	सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया	—	—	9454401282
8.	सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर	—	—	9454401281
	सहायक पुलिस आयुक्त थरवड़			
9.	सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर सोराव	—	—	9454401280
10.	सहायक पुलिस आयुक्त करछना	—	—	9454401283
11.	सहायक पुलिस आयुक्त मेजा	—	—	9454401284
12.	सहायक पुलिस आयुक्त बारा	—	—	9454401285
	सहायक पुलिस आयुक्त कौथियारा			

13.	सहायक पुलिस आयुक्त प्रश्नान	-	2461097	9454401722
14.	सहायक पुलिस आयुक्त आकिक	-	-	

थाना प्रभारियों का विवरण

क्रम सं०	पद	थाना	टेलीफोन नम्बर	
			कार्यालय	सीयूजी
1.	प्र०निरीक्षक	कोतवाली	2240900	9454402839
2.	थानाध्यक्ष	शाहगंज	2242660	9454402851
3.	प्र०निरीक्षक	खुलदाबाद	2655603	9454402837
4.	थानाध्यक्ष	करैली	2550510	9454402832
5.	प्र०निरीक्षक	सिविल लाइन्स	2560904	9454402822
6.	थानाध्यक्ष	धूमनगंज	2233007	9454402824
7.	प्र०निरीक्षक	कैण्ट	2423004	9454402821
8.	थानाध्यक्ष	पुरामुफती		
9.	प्र० निरीक्षक	एयरपोर्ट		7839864909
10.	थानाध्यक्ष	कीडगंज	2458464	9454402834
11.	थानाध्यक्ष	मुट्ठीगंज	2413736	9454402845
12.	प्र०निरीक्षक	अतरसुइया	2242100	9454402818
13.	प्र०निरीक्षक	कर्नलगंज	2460205	9454402835
14.	थानाध्यक्ष	शिवकुटी	2250850	9454402853
15.	थानाध्यक्ष	जार्जटाउन	2468482	9454402825
16.	प्र०निरीक्षक	दारागंज	2500751	9454402841
17.	थानाध्यक्ष	महिला थाना	2560903	9454402841
18.	थानाध्यक्ष	झूंसी	2569100	9454402830
19.	प्र०निरीक्षक	हण्डिया	05332-284010	9454402827
20.	थानाध्यक्ष	उत्तराय	05332-239395	9454402856
21.	थानाध्यक्ष	सराय मरेज	05332-280564	9454402850
22.	थानाध्यक्ष	सराय झुनायत	05332-220427	9454402849
23.	प्र०निरीक्षक	फूलपुर	05332-251224	9454402848
24.	थानाध्यक्ष	बहरिया	05332-220212	9454402819

25.	प्र०निरीक्षक	थरवई	2647164	9454402855
26.	थानाध्यक्ष	सोराय	05335-282393	9454402854
27.	थानाध्यक्ष	फाकामके		7839865164
28.	प्र०निरीक्षक	मज़आइमा	05335-233482	9454402843
29.	थानाध्यक्ष	होलागढ	05335-233443	9454402828
30.	थानाध्यक्ष	नवाबगज	05335-231406	9454402847
31.	प्र०निरीक्षक	नेनी	2697261	9454402846
32.	थानाध्यक्ष	करछना	05333-232597	9454402831
33.	थानाध्यक्ष	ओद्योगिक लेंग्र	2686848	9454402829
34.	थानाध्यक्ष	झुरपुर	0533-283452	9454402826
35.	थानाध्यक्ष	मेजा	0534-239749	9454402844
36.	थानाध्यक्ष	माण्डा	0534-234413	9454402842
37.	थानाध्यक्ष	कोराव	0534-232481	9454402838
38.	थानाध्यक्ष	खीरी	0534-230353	9454402836
39.	थानाध्यक्ष	बारा	05333-284408	9454402820
40.	थानाध्यक्ष	शंकरगढ	05333-222202	9454402852
41.	थानाध्यक्ष	कौधियारा		9454402833
42.	थानाध्यक्ष	लालापुर	05335-245291	9454402840

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	पुलिस आयुक्त	रु 37400.67000	10,000			20,000 7 वर्ष पर
2	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	रु 37400.67000	7600			20,000 7 वर्ष पर
3	पुलिस उपायुक्त	रु 15600.39100	6600			20,000 7 वर्ष पर
	अपर पुलिस उपायुक्त	रु 15600.39100	7600	800	300	1500 5 वर्ष पर
	सहायक पुलिस आयुक्त	रु 15600.39100	5400	800	300	3200 5 वर्ष पर
4	निरीक्षक	रु 9300.34800	4600	5520	188	7500 5 वर्ष पर
5	उप निरीक्षक	रु 9300.34800	4200	4040	188	7500 5 वर्ष पर
6	मुख्य आरक्षी	रु 5200.20200	2000	2940	188	3000 प्रति वर्ष
7	आरक्षी	रु 5200.20200	1900	2400	188	3000 प्रति वर्ष
8	अनुचर	रु 4440.7400	1300	2200	156	2000 प्रति वर्ष

10.2 रेडिया शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	सहायक रेडियो अधिकारी	रु 15600.39100	7600	800	300	3200 7 वर्ष पर
2	रेडियो निरीक्षक	रु 9300.34800	4600	5520	188	7500 5 वर्ष पर

3	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी / रॉ केन्द्र अधिकारी	₹ 9300.34800	4200	4040	188	7500 5 वर्ष पर
4	हेड आपरेटर	₹ 9300.34800	4200	4040	180	3000 प्रति वर्ष
5	सहायक परिचालक	₹ 9300.34800	4200	4040	180	3000 प्रति वर्ष
6	अनुचर / सन्देशवाहक	₹ 4440.7400	1300	700	30	2000प्रति वर्ष

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	₹ 15600.39100	7600			3200 7 वर्ष पर
2	अग्नि शमन अधिकारी	₹ 9300.34800	4600	1500	188	7500 5 वर्ष पर
3	द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	₹ 9300.34800	4200	1500	188	7500 5 वर्ष पर
4	लीडिंग अग्निशमन अधिकारी	₹ 5200.20200	2000	1875	188	3000प्रति वर्ष
5	फायरमैन	₹ 9300.34800	2000	700	188	3000प्रति वर्ष
6	अनुचर	₹ 4440.7400	1800	700	156	2000प्रति वर्ष

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	एस0आई0 (एम0)	₹ 9300.34800	4200	1500	188	7500 5 वर्ष पर
2	ए0एस0आई0(एम)	₹ 5200.20200	2800	1500	188	7500 प्रति वर्ष
3	उदू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक	₹ 9300.34800	2800	निल	निल	

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
1	उ0नि0 परिवहन शाखा	₹ 9300.34800	4200	1500	188	7500 5 वर्ष पर

2	मुख्य आरक्षी	₹ 5200.20200	2000	1875	188	3000 प्रति वर्ष
3	आरक्षी चालक	₹ 5200.20200	2000	1875	188	3000 प्रति वर्ष
4	वर्तुर्ध श्रेणी	₹ 4440.7400	1300	700	30	2000 प्रति वर्ष

10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्रम सं०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वर्दी भत्ता
3	पुलिस उपाधीक अभिसूचना	₹ 15600.39100	5400			3200 7 वर्ष पर
4	निरीक्षक अभिसूचना	₹ 9300.34800	4600	1500	188	7500 5 वर्ष पर
5	उप निरीक्षक अभिसूचना	₹ 9300.34800	4200	1500	188	7500 5 वर्ष पर
6	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	₹ 5200.20200	2000	1875	188	3000 प्रति वर्ष
7	आरक्षी अभिसूचना	₹ 5200.20200	2000	1875	188	3000 प्रति वर्ष
8	अनुचर	₹ 4440.7400	1000	1688	156	2000 प्रति वर्ष

मुल्य बजट रिपोर्ट, जिला-पुलिस, पुलिस कमिशनरेट प्रधानगाराज, दिनांक 06.07.2024 (20550010903)

मानव संदर्भ का नाम	2024-25 हेतु रवैकृत अनुदान	01.04.2024 से अब तक का व्यय	शेष धनराशि	टीक्सिट दायरिक	मात्रा पाँड़
01-प्रेसन	2483686000.00	274398237	2209287763.00	0.00	0.00
03-सहनाई भलता	1366027000.00	136742455	1229284545.00	0.00	0.00
06-अन्य भलता	190348000.00	14338212	176009788.00	0.00	0.00
56-मानव विकास भलता	95174000.00	16993726	78180274.00	0.00	0.00
56-नगर प्रतिकर्म भलता	0.00	0	0.00	0.00	0.00
57-एम्परी030	0.00	0	0.00	0.00	0.00
योग-सूच-1	4135225000.00	442472630.00	3692762370.00	0.00	0.00
04-प्राचा भलता	38450000.00	40339701.00	-1889701.00	0.00	0.00
05-रखानान्तरण यात्रा भलता	2461000.00	884297.00	1576703.00	0.00	0.00
45-अवधारणा प्राचा भलता	322000.00	0.00	322000.00	0.00	0.00
योग-सूच-2	41233000.00	41223998.00	9002.00	0.00	0.00
08-कार्यालय व्यय					
08-(01) कार्यालय व्यय	4834000.00	4834000.00	0.00	0.00	0.00
11-लेखन शास्त्री					
11-लेखन शास्त्री/कार्मी की उपलब्ध	610000.00	483581.00	121419.00	0.00	0.00
42-अन्य व्यय					
42-आप व्यय	3021000.00	246703.00	2774297.00	0.00	0.00
61-दर्दी व्यय					
51-दर्दी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग-सूच-3 (06,11,42,61 का योग)	8465000.00	5569284.00	2895716.00	0.00	0.00
02-मजदूरी	1511000.00	0.00	1511000.00	0.00	0.00
09-वित्ती दोष(गुहाकर,जलजल एवं नीदर गार के मुलायन तथा)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-जलजल जल फ्राइ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-सड़म विकास एवं उपग्रहण व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुष्प - 4 (09, 10, 17 का योग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-फर्मियर कार एवं समाज	1209000.00	0.00	1209000.00	0.00	0.00
13-ट्रैकीफोन का व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-प्रौद्योगिकी की शारीर/मौद्रिक अनुसारण	24775000.00	7399411.00	17375589.00	0.00	0.00
15-सौटर अनुसारण का योग	24775000.00	7399411.00	17375589.00	0.00	0.00
15-सौटर समाज/प्रौद्योगिकी/जीजल पर व्यय और आईपी	144000.00	0.00	144000.00	0.00	0.00
2055000010300					
16-प्रवासायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4532000.00	0.00	4532000.00	0.00	0.00
16-व्यवसायिक सेवाओं का योग	4532000.00	0.00	4532000.00	0.00	0.00
उत्तर-112 20550010913					
08-कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-कार्यालय व्यय (DMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-लेखन शास्त्री एवं फर्मी की उपलब्ध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-लेखन शास्त्री एवं फर्मी की उपलब्ध(OMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-फर्मियर उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-सौटर समाज/प्रौद्योगिकी/जीजल पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-विज्ञापन विज्ञि एवं विरुद्धापन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44-प्रशिक्षण छावनि-112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-सामायक अनुदान 2055001130600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-गृष्ण सेवा व्यय	39000.00	39000.00	0.00	0.00	0.00
24-पुहुं नियाम 40550021109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-यात्रिन यात्रा-सभा उपकरण में व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-अनुसारण (प्रौद्योगिक तथा मुकायोद्देश में शिक्षालय, वाधाहन की सम्भाल हेतु)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-कुल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-यात्रायात्रा प्रबन्धन नियम 205500115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग 205500015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26-मर्गीने और साज-सज्जा/उपकरण और सामग्री न्याय सहित 2023 मार्गीने नामीक सूची सहित 2023 तथा भासीय न्याय अधिनियम 2023 के क्रियान्वय हेतु 45 भाषा हेतु किट 750 बदल स्टार्ट फोन के क्रियान्वय 40700000000009	15180000.00	0.00	15180000.00	0.00	0.00
26-मर्गीने और साज-सज्जा/उपकरण और सामग्री न्याय सहित 2023 मार्गीने नामीक सूची सहित 2023 तथा भासीय न्याय अधिनियम 2023 के क्रियान्वय हेतु किट 45, सीबाइट कैन हेतु स्पार्ट फोन सीबाइट कैन क्रियान्वय कैसर/ट्रैक विसेक हेतु ट्रैक एंड रेकॉर्ड के क्रियान्वय 40700000000009	7650000.00	0.00	7650000.00	0.00	0.00
08-स्टार्ट सिली सार्किलास सिस्टम हेतु 2055001091200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42-अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. गुरु चुकिया निधि 20550011303	572000.00	0.00	572000.00	0.00	0.00
2. खेलबाजू वर व्यय 20550011305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. पुलिशाकल्याण के 2055001130800 लिये वित्तीय अनुदान ।	654000.00	0.00	654000.00	0.00	0.00
42-अन्य व्यय/पुलिश रिकार्ड का डिजिटाइजेशन 20550010918	963000.00	0.00	963000.00	0.00	0.00
43-सामर्थी एवं सम्पूर्ण 20551130401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44-प्रशिक्षण व्याजा भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साक्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47-कम्प्यूटर अनुस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49-विकास व्यय	53404000.00	36907285.00	16496715.00	0.00	0.00
58-आवाद सोसाइट सेवाओं हेतु भुगतान	4985165.00	3219204.00	1765961.00	0.00	0.00
58-आवाद सोसाइट सेवाओं हेतु भुगतान (मास-मौहा मजदूरी के लिये दाविल्य हेतु)	3978835.00	3978835.00	0.00	0.00	0.00
घोर 58	8964000.00	7198939.00	1765961.00	0.00	0.00
बजट-स्थानाजात, पुलिश कामिशनरेट, प्रयागराज दिनांक 06.07.2024 (20550010907)					
सामग्री का नाम-	2024-25 हेतु स्वीकृत अनुदान	01.04.2024 से अब तक व्यय	शेष बनारासी	लाभित दायित्व	मास-व्यय
02-सजदूरी	5089000.00	2654758.00	3034242.00	0.00	0.00
08-कायानिय व्यय	3181000.00	200000.00	2981000.00	0.00	0.00
11-हेल्पर समर्थी	1272000.00	0.00	1272000.00	0.00	0.00
42-अन्य व्यय (मार्गीने न्याय सहित 2023 मार्गीने नामीक सूची सहित 2023 तथा भासीय न्याय अधिनियम 2023 के क्रियान्वय हेतु किट बैग के कम्प्यूटर के क्रियान्वय)	276000.00	0.00	276000.00	0.00	0.00
42-अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोर	4729000.00	200000.00	4529000.00	0.00	0.00
12-फर्मीचर का व्यय एवं भरमत	1272000.00	0.00	1272000.00	0.00	0.00
15-स्टार्ट अनुस्थान	4600000.00	0.00	4600000.00	0.00	0.00
23-गुप्त रोका व्यय	83000.00	83000.00	0.00	0.00	0.00
29-मध्यन अनुस्थान	4031300.00	0.00	4031300.00	0.00	0.00
42-अन्य व्यय (पुलिश क्रियान्वय से कार्यक्रमिक हेतु सुनारीप्रै-2055001091700)	709300.00	0.00	709300.00	0.00	0.00
46-अन्य व्यय (मार्गीने न्याय सहित 2023 मार्गीने नामीक सूची सहित 2023 तथा भासीय न्याय अधिनियम 2023 के क्रियान्वय हेतु HAVY Duty Printer, लैपटॉप तथा कॉटटेब्ल ड्राइविंग्स एवं फैन के क्रियान्वय)	3919000.00	0.00	3919000.00	0.00	0.00
48-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सफाइटेक(सीसीटीएनएस कार्य हेतु)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48-नयान पुलिश व्यापक एवं एप्पलेट पर कम्प्यूटर एवं अन्य वाहनी उपकरणों के अधिकार्यालय हेतु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47-अन्य व्यय (मार्गीने न्याय सहित 2023 मार्गीने नामीक सूची सहित 2023 तथा भासीय न्याय अधिनियम 2023 के क्रियान्वय हेतु टीवी/ए-4 चैनल के क्रियान्वय)	3588000.00	0.00	3588000.00	0.00	0.00
47-अनुस्थान एवं लालबनी स्टोकानी तथा कक (सीसीटीएनएस कार्य हेतु)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58-आवाद सोसाइट पर व्यय	2290000.00	1263132.00	1026868.00	0.00	0.00

बजट-लोकसभा सदमान्य निर्वाचन 2024, पुलिस कमिशनरेट, प्रधानमंत्री दिनांक 06.07.2024 (2055008000500)

मानक भव का नाम	2024-25 हेतु स्थीकृत अनुदान	01.04.2024 से अब तक ब्यय	शेष धनराशि	लम्बित दायित्व	मार्ग-पत्र
02-मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-पाला भवान	13994000.00	0.00	13994000.00	0.00	0.00
08-कार्यालय ब्यय	429000.00	0.00	-429000.00	0.00	0.00
11-लेखन वामपाठी	337000.00	398753.00	-61753.00	0.00	0.00
42-अन्य ब्यय (अधिकारीय माहनी का विशेष उन्न टेन्ट कानून, एवं किटावे पर ली जाने वाली समझी का किटाप, असाधी औपचार्य/ सामाजिक इवार्ड का भुगतान किया जावेगा। लम्बित दायित्व का भुगतान नहीं होगा।)	14350598.00	13435703.00	914895.00	0.00	0.00
42-अन्य ब्यय (प्राविधिक/ सामाजिक ब्यय का भुगतान, लम्बित दायित्व का भुगतान नहीं होगा।)	7930000.00	7777000.00	153000.00	0.00	0.00
42-अन्य ब्यय (हस्ते लकड़ी हेतु लम्बित दायित्व का भुगतान नहीं होगा।)	4591800.00	5166600.00	-574800.00	0.00	0.00
स्थोर	27638398.00	26778056.00	860342.00	0.00	0.00
12-फैनीचर जाति भव का भव एवं संरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-टेलीफोन पर ब्यय	184000.00	0.00	184000.00	0.00	0.00
15-सीटर अनुसंधान	6500000.00	5914415.00	585585.00	0.00	0.00
कुल योग	48316398.00	32692471.00	15623927.00	0.00	0.00
(4)बजट-काइम आगे पुलिस कमिशनरेट प्रधानमंत्री (सेक्यूरिटी-2055001090900) दिनांक 06.07.2024					
स्वनक भव का नाम	स्थीकृत अनुदान	ब्यय	शेष धनराशि	लम्बित दायित्व	सम्पर्क
02-कार्यालय ब्यय	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00
11-लेखन वामपाठी और प्राची	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00
42-अन्य ब्यय	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00
स्थोर 08,42	12500.00	0.00	12500.00	0.00	0.00
12-कार्यालय फैनीचर एवं उपकरण	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00
16-प्रदेशाधिक सेवाओं लगात विशेष रेता पर ब्यय	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00
29-अनुसंधान	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
46-कार्यालय हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का भव	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00
47-कम्प्यूटर अनुसंधान/ तकनीकी स्टेशनरी	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
58-अनुसंधानिंग पर ब्यय	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
स्थोर	283500.00	0.00	283500.00	0.00	0.00

12. सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग-

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रयोगित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार –पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण—

—शून्य—

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता—

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधाएँ—

क्र० सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त / सहायक पुलिस उपायुक्त / संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त (यदि सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु० प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को छापट या फैक्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु० प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु० प्रतिदिन के हिसाब से जुमाना (25000 रु० अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

जनपद प्रयागराज पुलिस कमिशनरेट में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है—

उपरोक्त सम्बन्ध में जनपद इलाहाबाद की सूचना निम्नवत् है—

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, मो०न०, टेली०न० व फैक्स न०	प्रथम अपीलीय अधिकारियों का नाम, पदनाम, पता, मो०न०, टेली०न०, फैक्स न०	कालम 3 व 4 में उल्लिखित अधिकारी के नियुक्ति अधिकारी का पदनाम, पता, मो०न०, टेली०

			नं० व फैक्स नं०
१	पुलिस कमिशनरेट प्रयागराज	श्री अभिषेक भारती, नोडल पुलिस अधिकारी जनसूचना / पुलिस उपायुक्त गंगनगर प्रयागराज सीयूजी न० ९४५४४०१०१५, आवास न० २६००७७७, कार्यालय न० २६४१९०२ फैक्स न० २२५०६००	श्री —
	कार्यालय पुलिस उपायुक्त नगर	पुलिस उपायुक्त नगर सीयूजी न० ९४५४४०१०१४, कार्यालय टेली० न० २२४०४३८, आवास टेली० न०: २२५६६९५	
	कार्यालय पुलिस उपायुक्त यमुनानगर	पुलिस उपायुक्त यमुनानगर सीयूजी न० ९४५४४०१०१३,	
	कार्यालय सहायक पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल	सहायक पुलिस उपायुक्त प्रोटोकाल सीयूजी न० ९४५४४०५२४८,	
	कार्यालय सहायक पुलिस उपायुक्त अपराध	सहायक पुलिस उपायुक्त अपराध सीयूजी न० ९४५४४०१०१३,	
	कार्यालय सहायक पुलिस उपायुक्त यातायात	सहायक पुलिस उपायुक्त यातायात सीयूजी न०:	
	कार्यालय सहायक पुलिस उपायुक्त हाईकोर्ट सुरक्षा	सहायक पुलिस उपायुक्त हाईकोर्ट सुरक्षा सीयूजी न० ९४५४४०५२०२,	
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली	सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली सीयूजी न० ९४५४४०१२७३	— —
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त करैली	सहायक पुलिस आयुक्त करैली सीयूजी न०	
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त घृमनगज	सहायक पुलिस आयुक्त घृमनगज, सीयूजी न० ९४५४४०१२७४	— —
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त	सहायक पुलिस आयुक्त अलरसुईया सीयूजी न० ९४५४४०१२७५,	— —

	अतरसुईया		
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त शिवकुटी	सहायक पुलिस आयुक्त शिवकुटी सीयूजी नं० 9454401277	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त झूँसी	सहायक पुलिस आयुक्त झूँसी सीयूजी नं० 9454401278,	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त थरवड	सहायक पुलिस आयुक्त थरवड सीयूजी नं०	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर	सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर सीयूजी नं० 9454401281	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया	सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया सीयूजी नं० 9454401282	
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त सोराव	सहायक पुलिस आयुक्त सोराव सीयूजी नं० 9454401280	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त कौधियारा	सहायक पुलिस आयुक्त कौधियारा सीयूजी नं०	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त बारा	सहायक पुलिस आयुक्त बारा सीयूजी नं० 9454401285	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त मेजा	सहायक पुलिस आयुक्त मेजा सीयूजी नं० 9454401284	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय सीयूजी नं० 7839864911	- -
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त यातायात	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सीयूजी नं० 9454401279	
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त	सहायक पुलिस आयुक्त आकिक	- -

	आकिक		
	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञान सीयूजी न0 9454401722,	—	—
	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी प्रयागराज।	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी सीयूजी न0 9454418339	—

(अभिषेक भारती)
 नोडल जनसूचना अधिकारी,
 कार्यालय पुलिस आयुक्ता,
 प्रयागराज।